न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 41/2024

अपीलांट –

चैनसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राव निवासी रावों की ढाणी, बाड़मेर ग्रामीण तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. शिवदानसिंह पुत्र मोतीसिंह
3. सवाईसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
4. हरीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
5. भीमसिंह पुत्र तारूसिंह
6. नथूदेवी पुत्री मोतीसिंह
7. प्यारी देवी पत्नि उम्मेदसिंह जाति रावत निवासी रावों की ढाणी, बाड़मेर ग्रामीण तहसील व जिला बाड़मेर
8. मोहरोंदेवी पत्नि अर्जुनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 4225 दिनांक 26.05.2022 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री दानसिंह राठोड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अवशेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 06.01.2026

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम बाड़मेर शह[illegible]मान्तरकरण सं. 4225 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा [illegible] दिनांक 26.05.2022 के विरूद्ध दिनांक 12.07.2024 को इस न्यायाल[illegible] के समक्ष प्रस्तुत की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:31:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा बाड़मेर शहर के खसरा नंबर 4109/1601 कुल रकबा 1–2302 हैक्टेयर भूमि अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 7 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में अपनी खातेदारी घोषणा करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा दावा सहायक कलक्टर बाड़मेर में दर्ज किया जाकर उक्त खसरा नंबर 4109/1601 व खसरा नंबर 1589/1/1 के संबंध में अप्रार्थीगण बेचान न करे, रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश दिनांक 11.07.2019 पारित किया गया था। तत्पश्चात खातेदार वीरों देवी उर्फ वीरों कंवर पत्नि मोतीसिंह का देहान्त दिनांक 25.08.2021 को हो गया तथा वीरों देवी का देहान्त होने पर उतरदातागण द्वारा सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा स्थगन आदेश राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का प्रभावी होने के बावजूद भी मृतक वीरोंदेवी का फौतगी नामान्तरकरण संख्या 4225 स्वीकृत करवा लिया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील संख्या 41/2024 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 12.07.2024 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि मौजा बाड़मेर शहर के खसरा नंबर 4109/1601 कुल रकबा 1–2302 हैक्टेयर भूमि अपीलांट व

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:51:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उतरदाता संख्या 2, 4, 7 की माता व 3 की दादी वीरां देवी पत्नि मोतीसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जिस पर उतरदाता संख्या 6 नथू देवी ने उक्त भूमि में अपनी खातेदारी खातेदारी घोषणा करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष पेश किया गया जिसके साथ एक अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो राजस्व आवेदन संख्या 187/2019 नथूदेवी बनाम भवरसिंह के कायम मुकाम वगेरा है। जिस आवेदन में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर में दिनांक 11.07.2019 को स्थगन आदेश जारी खसरा नंबर 4109/1601 रकबा 07–12 बीघा एवं खसरा नंबर 1589/1/1 रकबा 16–10 बीघा मौजा बाड़मेर शहर के संबंध में अप्रार्थीगण बेचान न करे, रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने पाबंद किया गया जो स्थगन आदेश आज दिन तक प्रभावी है। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा भी एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष पेश किया गया। जो राजस्व आवेदन संख्या 146/2019 चैनसिंह बनाम वीरां देवी वगैरा है जिस आवेदन में भी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 01.05.2019 को इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया गया है कि मौजा बाड़मेर शहर के खसरा नंबर 4109/1601 रकबा 07–12 बीघा भूमि में मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं आवेदन भी न्यायालय में विचाराधीन है। तत्पश्चात खातेदार वीरां देवी उर्फ वीरां कंवर पत्नि मोतीसिंह का देहान्त दिनांक 25.08.2021 को हो गया तथा वीरां देवी का देहान्त होने पर उतरदाता नथूदेवी ने राजस्व कर्मचारी एवं पटवारी व आरआई से मिलीभगत करते हुए दो–दो स्थगन आदेश राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का प्रभावी होने के बावजूद भी मृतक वीरांदेवी का फर्जी नामान्तरकरण संख्या 4225 की कार्यवाही हलका पटवारी द्वारा दिनांक 05.05.2022 को खोली गई तथा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:51:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 26.05.2222 को आरआई बाड़मेर शहर से जांच करवाकर उसी दिन दिनांक 26.05.2022 को तहसीलदार बाड़मेर से वीरोंदेवी की फौतगी का नामान्तरकरण अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना ही स्थगन आदेश के प्रभाव काल में नामान्तरकरण संख्या 4225 स्वीकृत करवा लिया जो नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। उक्त नामान्तरकरण पारित करने में कानूनी रूप से भारी भूल की है जिससे आलौच्य नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4225 अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि नामान्तरकरण संख्या 4225 का ज्ञान अपीलांट को वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर उतरदाता संख्या 6 नथूदेवी ने भूमि का बेचान गोविन्दसिंह को किया गया तथा गोविन्दसिंह ने अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर बेदखल करने का प्रयास कर स्वयं काबिज होने का प्रयास करने लगा तब अपीलांट को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तब अपीलांट्स ने हल्का पटवारी से जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने उक्त नामान्तकरण की नकले मांगी जो नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 4225 दिनांक 26.05.2022 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:51:59 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच उपरांत विधिवत रूप से वीरो देवी की

जिला कलक्टर
बाड़मेर

फौतगी पश्चात नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं। चुंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण फौत होने से उनके वारिसान के नाम भरा गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं वाक्याती भूल नहीं होने से अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा बाड़मेर शहर के खसरा नंबर 4109/1601 कुल रकबा 1–2302 हैक्टेयर भूमि अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 7 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में अपनी खातेदारी घोषणा करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा दावा सहायक कलक्टर बाड़मेर में दर्ज किया जाकर उक्त खसरा नंबर 4109/1601 व खसरा नंबर 1589/1/1 के संबंध में अप्रार्थीगण बेचान न करे, रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश दिनांक 11.07.2019 पारित किया गया था। तत्पश्चात खातेदार वीरों देवी उर्फ वीरों कंवर पत्नि मोतीसिंह का देहान्त दिनांक 25.08.2021 को हो गया तथा वीरों देवी का देहान्त होने पर उतरदातागण द्वारा सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा स्थगन आदेश राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का प्रभावी होने के बावजूद भी मृतक वीरोंदेवी का फौतगी पर विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4225 में अपीलांट को समुचित सुनवाई अवसर नहीं दिये जाने एवं स्थगन आदेश प्रभावी होने के उपरांत स्वीकृत किये जाने से विधिविरूद्ध है जिन्हें बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:51:59 IST
Reason: SelfAttested

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थि[illegible] विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा शहर के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 4225

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 26.05.2022 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि पक्षकारान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:51:59 IST
Reason: SelfAttested